न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 68/2017

अपीलांट्स–

1. धनाराम पुत्र मोटाराम
2. कानूदेवी पत्नी हनुमानराम
3. जोगाराम पुत्र हनुमानराम
4. वीरमाराम पुत्र हनुमानराम

   जाति जाट निवासी खारडी बेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

   (अपीलांट संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये कुदरती वली अपीलांट संख्या 1 कानूदेवी)

__बनाम__

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार सिणधरी
2. नगाराम पुत्र हरदानराम
3. पूनमाराम पुत्र नारणाराम
4. चैनाराम पुत्र नारणाराम
5. गेनाराम पुत्र नारणाराम
6. जमनादेवी पत्नी नारणाराम
7. मांगाराम पुत्र हडुमानराम
8. माडूदेवी पत्नी हडुमानराम
9. लिखमाराम पुत्र तुलछाराम
10. जोधाराम पुत्र रामाराम

    जाति जाट निवासी खारडी बेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2011 जो उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा खारडी बेरी के खसरा नंबर 504, 491, 492 व 490 तथा मौजा मोडोणियों की ढाणी के खसरा नंबर 177 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण सं 2 से 10 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 07.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा खारडी बेरी के खसरा नम्बर 504, 491, 492 व 490 रकबा क्रमशः 118—05, 00—07, 127—10 व 00—08 बीघा तथा मौजा मोडोणियों की ढाणी के खसरा नंबर 177 रकबा 285—00 बीघा के खातेदारान नगा वल्द हरदान, पूनमा, चैना, गेना पि0 नारणा, जमना बेवा नारणा, मांगाराम पुत्र हडुमानराम मु0 माडूदेवी पत्नी हडुमानराम, लिखमा वल्द तुलछा, जोधा वल्द रामा, हडुमान वल्द देवा, धना वल्द मोटा कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना—पत्र दिनांक 07.01.2011 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना—पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हलका पटवारी आडेल द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 937—940 दिनांक 07.01. 2011 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.10.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के [illegible] ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है [illegible] पर हलका पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा भ्रामक व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट की गई तथा विभाजन आवेदन पत्र में अपीलांट को बिना बताए उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसके हिस्से में मिलने वाली भूमि से 10—00 बीघा कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला ... बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

देकर विभाजन पर धोखे से अंगुष्ठ निशान करवा दिये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी विभाजन आवेदन तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट्स से पूछताछ नहीं की और न ही अपीलांट्स को राजस्व रेकर्ड अनुसार उसके हिस्से में मिलने वाली भूमि के बारे में अवगत कराया गया। इस प्रकार अपीलांट्स को उनके हिस्से से कम भूमि देकर उनके हितों पर कुठाराघात किया है। अपीलांट्स को त्रुटिपूर्ण विभाजन की जानकारी दिनांक 06.09.2017 को खातेदारी के भूमि के रेकर्ड की नवीन नकलें मांगने पर जो दिनांक 07.09.2017 को प्राप्त होने पर हुई। यह अपील अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अन्दर मयाद पेश की जा रही है एवं विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2011 को निरस्त करते हुए रेकर्ड की स्थिति यथावत बहाल करने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2011 के विरूद्ध यह अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश पक्षकारान की सहमति से विभाजन हेतु पारित किया गया है। इस कारण उक्त विभाजन सही होने की जानकारी अपीलांट्स को प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स को तंग व परेशान करने की नियत से यह अपील जानबूझकर देरी से गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है जो अस्वीकार योग्य है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर मौका पर कब्जा काश्त व बाहमी बंटवाडा अनुसार विभाजन कराया गया है तथा वर्तमान में भी बंटवाडा आदेश में वर्णित अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

6. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खारडी बेरी के खसरा नम्बर 50[illegible] 492 व 490 रकबा क्रमशः 118–05, 00–07, 127–10 व 00–08 [illegible] मौजा मोडोणियों की ढाणी के खसरा नंबर 177 रकबा 285–00 बीघा [illegible] खातेदारान नगा वल्द हरदान, पूनमा, चैना, गेना पि0 नारणा, जमना बेवा नारणा, मांगाराम पुत्र हड़ुमानराम मु0 माडूदेवी पत्नी हड़ुमानराम, लिखमा वल्द तुलछा, जोधा वल्द रामा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हडुमान वल्द देवा, धना वल्द मोटा कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2011 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हलका पटवारी आडेल द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 937–940 दिनांक 07.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा उसके हिस्से में आनेवाली भूमि से 10–00 बीघा भूमि कम दी गई है। अपीलांट्स अनपढ़ होने से उसने रेस्पोडेंट्स पर भरोसा कर विभाजन इकरार पर अंगुष्ठ निशान अंकित किया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव की तस्दीक स्वरूप पटवारी हलका ने मात्र चौसाला जमाबंदी व नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन सही होने एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार काबिज होने की तस्दीक की है जबकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार विभाजन में अपीलांट्स को 10–00 बीघा भूमि हिस्से में कम दी जाना प्रकट किया गया है। हलका पटवारी द्वारा उक्त विभाजन में हिस्से व लगान के विभाजन के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है और न ही मौके पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार पैमाईश किये जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या उक्त विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 में यथा विहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य नही हैं। राजस्व नियमावली के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में भूमि की किस्म एवं अवस्थिति को मध्य नजर रखा जाकर निष्फ हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक हैं जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के हिस्से में आने वाले रकबे में 10–00 बीघा भूमि कम दी गई है। इस प्रकार उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से मे अंकित कर दी है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के बीच हिस्से एवं कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 07.01.2011 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested